

कार्यालय जिला परिषद, कैमूर (भभुआ)

बंदोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषदीय बस पड़ाव, मोहनियां में वाहनों से टॉल टैक्स (चूँगी) वसूली हेतु वर्ष 2017-18 (दिनांक-01.04.2017 से 31.03.2018 तक) के लिए खुले डाक के माध्यम से बंदोबस्ती दिनांक- 17.03.2017 को 2:00 बजे अपराहन में जिला परिषद कार्यालय प्रकोष्ठ-सह-समाकक्ष में अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक- 16.03.2017 को 5:00 बजे अप0 तक स्वलिखित आवेदन जमा करना होगा। अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि को डाक नहीं होने की स्थिति में अगली तिथि दिनांक 18.03.2017 या दिनांक 20.03.2017 को निर्धारित समय पर की जायेगी।

बन्दोबस्ती की शर्तें

1. बन्दोबस्ती वर्ष 2017-18 (दिनांक 01.04.2016 से 31.3.2017 तक) के लिए की जायेगी।
2. डाक की सुरक्षित राशि ₹ 14,90,000.00 (चौदह लाख नब्बे हजार) रुपये होगी, जिसके उपर डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को बोली लगानी होगी।
3. डाक में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को आवेदन के साथ मो0 ₹50,000.00 (पचास हजार) रू0 अग्रधन के रूप में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद कैमूर (भभुआ) के पदनाम से होना अनिवार्य है।
4. सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के उपरान्त उसी दिन डाक राशि का 50 प्रतिशत राशि जमा करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि दो किस्त में एक-एक माह के अंतराल पर जमा करना होगा।
5. असफल डाक वक्ताओं द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि डाक समाप्ति उपरान्त वापस कर दी जाएगी।
6. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (जो छः माह के अंदर का हो) प्रस्तुत करना होगा।
7. डाक वक्ता को स्वलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध सरकार का कोई वसूलनीय राशि बकाया नहीं है।
8. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को विगत तीन वर्षों यथा- 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 का आयकर रिटर्न का प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये डाक को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।



10. बन्दोबस्तधारी को अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये युक्तिसंगत सभी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदनकर्ता को स्वयं डाक में भाग लेना होगा। निबंधित प्रतिष्ठान के मामले में अधिकृत प्रतिनिधि डाक में भाग ले सकेंगे।
12. बस पड़ाव में वाहनों से चूंगी वसूलने की दरों को निर्धारित करने का अधिकार मात्र अधोहस्ताक्षरी को होगा।
13. बन्दोबस्तधारी निम्नांकित स्वीकृत दरों के अनुसार ही चूंगी वसूलने के अधिकारी होंगे उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वसूली नहीं करेंगे।
14. चूंगी वसूली के सबूत में बंदोबस्तधारी को स्वयं के खर्च से मुद्रित रसीद वाहन चालकों को देना होगा। बस पड़ाव के अंदर जिला परिषदीय दुकानों, कैंटीन, शौचालय से चूंगी वसूलने का अधिकार बंदोबस्तधारी को नहीं होगा।
15. बन्दोबस्तधारी को उच्चतम डाक राशि के तीन प्रतिशत राशि का स्टाम्प शुल्क पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए बंदोबस्तधारी को ससमय स्टाम्प शुल्क पेपर उपलब्ध कराना होगा।
16. बन्दोबस्तधारी को बस पड़ाव की नियमित साफ-सफाई स्वयं के खर्च से कराना होगा।
17. बंदोबस्तधारी बस पड़ाव में वाहनों से निम्न निर्धारित दर पर चूंगी वसूल करने के अधिकारी होंगे।

चूंगी दर

क्र०	वाहन	चूंगी वसूली का दर (रूपये में)
01	आटो रिक्सा श्री हवीलर	10.00 प्रति दिवस
02	आटो विक्रम श्री हवीलर	15.00 प्रति दिवस
03	जीप/ टेकर/टैक्सी	20.00 प्रति दिवस
04	बस (छोटी व बड़ी)	35.00 प्रति दिवस
05	बस पड़ाव के अंदर ठेला, पान गुमटी	10.00 प्रति दिवस

27/11/17

21/10/17
उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला पार्षद, कैमूर (भभुआ)